

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 15/281

1. जगदीश आयु 55 साल
  2. रामलाल आयु 45 साल पिसरान उदा जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
- अपीलान्ट

**बनाम**

सुरेश कुमार आत्मज हीरालाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील एवं जिला बून्दी ।  
—रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 10.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम सीलोर तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 2126/39 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादी के खाते की उनकी भूमि के बीच बनी पुरानी मेड को तोड़ने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।
3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के खातेदारी की भूमि पर बनी पुरानी मेड को नहीं तोड़े उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्ति निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित अपीलान्ति प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ति स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।
6. अपील अपीलान्ति रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ति के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
  7. अपीलान्ति के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ति स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।
  8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ति के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और पक्षकारान की बिना सहमति के लोक अदालत की भावना के विरुद्ध उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना न्यायहित में उचित समझते हैं ।
  9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
  10. निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा